

## कार्यालय सहायक संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय विदिशा-रायसेन (म0प्र०)

कमांक / १४६ विअ/ न0ग्रामनि०/ 2011  
प्रति,

विदिशा, दिनांक ..... २६/२/०१

श्रीमद् भगवान् खोनी  
घनिन् द्विकार्य खोनी निषादी  
उपर्युक्त विवरण  
जिला रायसेन (म0प्र०)

विषय : कस्बा रायसेन की भूमि खसरा कमांक ६०६ एकड़ी रकबा ।।५.५। वर्ग मीटर भूमि पर आवासीय उपयोग हेतु विकास अनुज्ञा बावत् ।

संदर्भ : आपका आवेदन पत्र दिनांक ।।७.०।. २०१।

—0—  
उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भ में कस्बा रायसेन की भूमि खसरा कमांक ६०६ एकड़ी रकबा ।।५.५। वर्ग मीटर भूमि आवासीय / उपयोग हेतु इस कार्यालय से विकास अनुज्ञा चाहा गया है। रायसेन विकास योजना में प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान आवासीय / भू - उपयोग में निर्दिष्ट है।

अतः प्रश्नाधीन भूमि पर स्वयं का उपयोग हेतु मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा म0प्र० 30 (1) (ख) एवं म0 प्र० भूमि विकास नियम 1984 के नियम 27 (1) के प्रावधान अनुसार निम्न शर्तों के आधार पर विकास अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

1. निम्नलिखित अधिनियम / नियम / सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा ।
  1. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959
  2. भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर, रायसेन
  3. नजूल अधिकारी रायसेन
  4. मध्यप्रदेश राज्य विधुत मण्डल
  5. जल संसाधन विभाग ( बांध नहर नदियों से लगी भूमि के विकास हेतु)
  6. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत या कोई अनुमति व अनापत्ति की आवश्यकता हो तो वह विकास/ निर्माण के पूर्व अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।
2. इस विकास अनुज्ञा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार से भूमि का उपविभाजन मान्य नहीं होगा ।
3. प्रश्नाधीन भूमि के समुख मार्ग के मध्य से ४.५० मीटर मार्ग विस्तार हेतु भूमि छोड़ने के पश्चात ही निर्माण करना होगा ।
4. प्रश्नाधीन भूमि में निर्मित क्षेत्र मानचित्र में दर्शाये ।।५०.१। अनुसार मान्य होगा ।